छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.
दूरभाष :–0771–2512111, 2512121, फैक्स :– 0771–2512112, 2512122
website: www.cghb.gov.in

–: आदेश :–

क्रमांक 24
दिनांक 22–12–2020

विषय :– निविदा प्रपत्रों के कंडिकाओं को संशोधित कर प्रतिस्थापित करने के संबंध में।

––––00––––

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 66वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 09.12.2020 के एजेण्डा क्रमांक–16 में पारित संकल्प क्रमांक–1859/16/66/12/2020 में संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का आदेश क्र. एफ 21–5/टी/ 19/2012/ निविदा नया रायपुर दिनांक 22.06.2018 द्वारा निविदा प्रपत्रों के कंडिकाओं में किये गये संशोधन को आमंत्रित की जाने वाली मण्डल निविदाओं हेतु सभी शर्तों के साथ लागू किया जाता है। तदानुसार सभी निविदा प्रपत्रों में इस संशोधन का समावेश किया जावे।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक /3240/अ.आ./मुख्या./निविदा नवा रायपुर दिनांक 22/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर।
4. अपर आयुक्त (जे./पी./व्ही.), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय नवा रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
7. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नवा रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त नवा रायपुर/वृत्त रायपुर/वृत्त दुर्ग/वृत्त बिलासपुर/वृत्त अंबिकापुर।
9. समस्त कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण की ओर पालनार्थ।
10. कार्यालयीन आदेश।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
नवा रायपुर अटल नगर

एजेण्डा–15 संकल्प क्रं.1858/15/66/12/2020.
विषयः–निविदा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि एवं निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि बीच समयावधि निर्धारण बाबत् ।

संचालक मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग के अनुरूप निविदा आमंत्रण के लिये निर्धारित निम्नानुसार समयावधि :–

1. प्रथमआमंत्रण – 20 दिन
2. द्वितीय आमंत्रण – 15 दिन
3. तृतीय आमंत्रण – 10 दिन

लागू करने आयुक्त के परिपत्र क्र. 04 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा जारी आदेश की कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करते हुए अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा – 16 संकल्प क्रं.1859/16/66/12/2020.
विषयः–निविदा प्रपत्रों के कंडिकाओं को संशोधित कर प्रतिस्थापित करने के संबंध में ।

संचालक मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का आदेश क्र. एफ 21–5/टी/19/2012/निविदा दिनांक 22.06.2018 द्वारा निविदा प्रपत्रों के कंडिकाओं में किये गये संशोधन को आमंत्रित की जाने वाली मण्डल की निविदाओं हेतु सभी शर्तों के साथ लागू किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुये अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा –17 संकल्प क्रं.1860/17/66/12/2020.
विषयः–मण्डल के निर्माण कार्यो में विद्युत एवं यांत्रिकी कार्य हेतु Electrical & Mechanical Works PWD SOR-2020 लागूकरने बाबत् ।

संचालक मंडल द्वारा विचारोपंरात सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए मण्डल के भविष्य में प्रस्तावित निर्माण कार्यो में विद्युत एवं यांत्रिकी कार्य हेतु पूर्व प्रचलित Electrical & Mechanical Works PWD SOR-2015 के स्थान पर Electrical & Mechanical Works PWD SOR-2020 लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन/पुष्टि किया जाता है तथा अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।

एजेण्डा – 18 संकल्प क्रं.1861/18/66/12/2020.
विषयः–छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 में लोक निर्माण विभाग (राजपत्रित) भर्ती नियम 2015 के समतुल्य संशोधन किये जाने बाबत्।

संचालक मण्डल द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग भर्ती अधिनियम (राजपत्रित) 2015 के अनुसूची–चार में निर्धारित नियम, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 के अनुसूची – चार में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव को लंबित रखा गया। विधिक सलाह प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत किया जाता है।